न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—309 / 2009</u> <u>संस्थित दिनांक—17.06.2009</u> फाईलिंग क. 234503000552009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

1—बुद्धनसिंह पिता जोगी बैगा, उम्र—67 वर्ष, निवासी—ग्राम खुर्शीपार, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—सोनसिंग पिता रूसू बैगा, उम्र—47 वर्ष, निवासी—ग्राम खुर्शीपार, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ _ _ _ _ आरोपीगण // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक—23/06/2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 448, 323, 325, 34, 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—11.03.2009 को करीब 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम खुर्शीपार में फरियादी परमसिंह को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी के आंगन में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर, आहत अमरसिंह को डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहित कारित कर, फरियादी परमसिंह को डण्डे से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ की भुजा में स्वेच्छ्या घोर उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी परमसिंह ने दिनांक—14.03.2009 को पुलिस थाने गढ़ी आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक—11.03.2009 को रात्रि 10:00 बजे वह अपने भतीजे के साथ आंगन में सो रहा था, तभी गांव का सोनसिंग व बुद्धनसिंह उसके घर आ गए और उसे माँ बहन की

अश्लील गालियां देकर कहने लगे कि उसने उनके घर की चादर चुराई है। इसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसे डण्डे से दाहिने हाथ, पीठ पर मारा। उसके भतीजे को भी आरोपीगण ने कलाई पर मारा था। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—13/09 अंतर्गत धास—294, 323, 506, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी जप्त किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गए। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—448 व 325 का ईजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 448, 323, 325, 34, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

- 1— क्या आरोपीगण ने दिनांक—11.03.2009 को करीब 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम खुर्शीपार में फरियादी परमसिंह को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के आंगन में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया ?
- 3— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अमरसिंह को डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी परमसिंह को डण्डे से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ की भुजा में स्वेच्छया घोर उपहित कारित की ?

5— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 एवं 5 का निष्कर्ष :-

5— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी परमसिंह ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दी जाने के बारे में अथवा जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी गोहरासिंह (अ.सा.2) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में अश्लील गालियां एवं जान से मारने की धमकी देने के विषय कुछ नहीं कहा है। अभियोजन साक्षी सुक्कू (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि आरोपीगण ने गाली दी थी, किन्तु गालियां सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था, यह बात उसने नहीं कही है। अभियोजन साक्षी अशोक के कथन से भी यह तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है, जिससे की भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 एवं 506 भाग—2 का अपराध आरोपीगण द्वारा किया जाना प्रमाणित हो रहा हो। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतएव आरोपी को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दू कमांक-2, 3 व 4 का निष्कर्ष

- 6— सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से विचारणीय बिन्दु क्रमांक—2, 3 व 4 का एक साक्ष निराकरण किया जा रहा है।
- 7— अभियोजन साक्षी परमिसंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2009 की है। उसे तथा उसके भतीजे से आरोपी बुद्धनिसंह ने मारपीट नहीं की थी। उसने आरोपीगण को माफ कर दिया है और वह उनके विरुद्ध प्रकरण नहीं चलाना चाहता है। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।
- 8— अभियोजन साक्षी गोहरासिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। बाद में उसे जानकारी हुई कि आरोपीगण ने परमसिंह व अमरसिंह के साथ

विवाद किया था।

- 9— अभियोजन साक्षी सुक्कू (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी तथा फरियादी को पहचानता है। आरोपीगण उसके घर के आंगन में आए और उन्होंने परमसिंह के साथ मारपीट की थी। उसने बीच—बचाव किया था। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यावही नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब घटना हुई तब रात्रि का समय था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने घटना नहीं देखी, उसे घटना की जानकारी घटना के बाद हुई थी।
- 10— अभियोजन साक्षी अशोक (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी के साथ गाली—गलौज कर मारपीट की थी।
- 11— अभियोजन साक्षी राजकुमार हिरकने (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.03.2009 को थाना गढ़ी में प्रधन आरक्षक मोहर्रिर के पद पर था। फरियादी परमसिंह पन्द्रे ने आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लेख कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये है।
- 12— बलराम प्रसाद दुबे (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.03.2009 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा अपराध कमांक—13 / 09, धारा—294, 323, 34 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा फरियादी परमसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—6 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने आरोपी सोनसिंह से बांस की लाटी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—8 एवं 9 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत प्रेमसिंह की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—325 बढ़ाई गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने मौकानक्शा तथा अन्य कार्यवाही थाने पर बैटकर

अपने मन से की थी।

13— अभियोजन साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.६) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—14.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक शरद कमांक—989 ने आहत अमरसिंह व आहत परमिसंह को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहतगण का परीक्षण कर प्रदर्श पी—3, प्रदर्श पी—4 व प्रदर्श पी—5 की रिपोर्ट दी थी, जिनके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। चिकित्सीय परीक्षण में उसने आहत अमरसिंह के बांए हाथ में सूजन पाया था तथा आहत परमिसंह के सीने में तथा दाहिनी भुजा पर बाहर की तरफ चोट पाया था। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किया है कि उसने दोनों आहतगण को एक्सरे कराने की सलाह दी थी, जिसमें आहत परमिसंह की एक्सरे रिपोर्ट में उसे अस्थिभंग होना पाया गया था। आहतगण को आई चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी और उसके परीक्षण करने के 48 से 72 घंटे के पूर्व की थी।

14— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—448, 323, 325, के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में परमिसंह अ.सा. 1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। साक्षी ने यह भी कहा है कि मात्र आरोपी बुद्धनिसंह ने मारपीट की थी, किसी अन्य व्यक्ति ने मारपीट नहीं की थी। साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण से यह प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा आरोपीगण से अपराध का शमन किया गया हो।

15— अभियोजन साक्षी गोहरासिंह (अ.सा.2) ने कहा है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, जबिक साक्षी अशोक (अ.सा.5) ने भी घटना के विषय में जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी जो मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी अशोक (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि फरियादी पक्ष घर के आंगन में सोये थे, तब आरोपीगण आए और डण्डे से मारपीट कर भाग गए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय अंधेरा था और उसे घटना की जानकारी घटना के बाद हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन विरोधाभासी हैं।

16— विवेचक साक्षी बलराम प्रसाद दुबे (अ.सा.7) द्वारा प्रकरण में की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है। चिकित्सक साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे (अ. सा.6) ने स्वयं द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है और कहा है कि उसने आहतगण को चोटें आना पाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक—14.03.2009 को लेख कराई गई है, जबिक घटना की दिनांक—11.03.2009 है, तीन दिवस की देर का कारण आहत का चलने फिरने में असमर्थ होना बताया गया है। घटना की मौखिक सूचना किसी और के द्वारा थाने पर की गई हो, यह बात अभिलेख से प्रकट नहीं है। प्रकरण में फरियादी का कहना है कि मात्र आरोपी बुद्धन द्वारा मारपीट की गई थी। किसी भी अन्य मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती और आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—448, 323/34, 325/34 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें ।
18— आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावें।

19— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया। किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित

बैहर दिनांक—23.06.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट